गुजरात राज्य

बनाम

गजानंद एम. दलवाड़ी (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि।

14 दिसंबर, 2007

{न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा और न्यायमूर्ति हरजीत सिंह बेदी}

सेवा कानून- सेवा से निष्कासन- लाइसेंस की जालसाजी के आरोप में-राज्य सिविल सेवा न्यायाधिकरण द्वारा सजा को इस आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया गया कि अपराधी अधिकारी ने एक सहकर्मी के कहने पर लाइसेंस में जालसाजी की- उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने आदेश को खारिज कर दिया- उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा- अपील पर, अभिनिर्धारित किया सजा की मात्रा में हस्तक्षेप न्यायोचित नहीं है-जालसाजी गंभीर परिमाण का दुराचार है, यदि साबित हो जाता है, तो अनुमानों और कल्पनाओं के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है साम्यता की ऐसे मामले में हस्तक्षेप की कोई भूमिका नहीं है- सजा की मात्रा में आमतौर पर हस्तक्षेप अनुमत नहीं है जब तक कि आरोपों का आरोपण पूरी तरह से असंगत निर्धारित नहीं किया जाता है- साम्यता।

प्रत्यर्थी (मृतक अपराधी अधिकारी) अपीलार्थी-राज्य के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में लाइसेंस अनुदान विभाग में कार्यरत था। प्रासंगिक समय में, वह लेखा विभाग में कार्यरत था।। लाइसेंस शाखा में निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जाली लाइसेंस प्रदान करने सहित कुछ कदाचार देखे। अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के बाद उनके खिलाफ आरोप साबित हुए और उन्हें सेवा से हटाने का निर्देश दिया गया। प्रत्यथी ने गुजरात सिविल सेवा न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया। इसकी अनुमति यह निर्धारित करते हुए दी गयी थी कि उसने अन्य किसी कर्मचारी के कहने पर लाइसेंस जारी किया था। राज्य द्वारा दायर रिट याचिका अनुमत की गयी। रिट अपील में उच्च् नयायालय की खंड पीठ ने न्यायाधिकरण के आदेश को यह मानते हुए कि यद्यपि अपराधी ने सोच समझकर कार्य किया था, वह कार्य की प्रकृति या इसे करने के तरीके को समझ नहीं पाया होगा, को बरकरार रखा। इस प्रकार न्यायालय ने प्रस्तुत अपील को अनुमत किया।

अभिनिर्धारित किया गयाः

1. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने स्वयं को विधि में गलत दिशा में निर्देशित किया, क्योंकि उन्होंने स्वयं के समक्ष गलत प्रश्न खडे किए। लाइसेंस की जालसाजी एक गंभीर आरोप है। इसे केवल इसलिए क्षम्य नहीं किया जा सकता कि यह किसी सहकर्मी के कहने

पर किया गया हो, भले ही ऐसा मान लिया जाये। लेकिन हस्तगत प्रकरण में संबंधित कर्मचारी ने इस बात से इंकार किया है कि लाईसेंस उसके कहने पर जारी किया गया था। जब इतने बडे पैमाने पर कदाचार साबित हो जाता है तो उसे अनुमानों और कल्पनाओं के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रकृति के मामलों में समानता की कोई भूमिका नहीं होगी। जब कोई जालसाजी किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए सदोष लाभ प्राप्त करने में सहायता करने या किसी अन्य को सदोष हानि पहुंचाने की दृष्टि से की जाती है, तो मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। (पैरा 8,9 और 10) (918-बी-ई)

2. जबकि एक बार यह निर्धारित किया जा चुका है कि अपराधी ने सोच समझकर काम किया था, तो यह नहीं माना जा सकता था कि वह काम की प्रकृति या उसके संव्यवहार के तरीके को नहीं समझता होगा, क्योंकि यह उसका कार्य नहीं था जबकि वह लेखा में कार्य कर रहा था। जांच अधिकारी द्वारा अपने निष्कर्ष में पाया गया तथ्य, जिसे उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने स्वीकार किया था, कि लाईसेंस जारी करना, जो कि उसका काम नहीं था, अपने आप में एक कदाचार था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया कि यह राज्य का सही मामला था कि अपराधी लेखा विभाग में अपने स्थानांतरण से पहले लाईसेंस विभाग में कार्य कर रहा था और इसीलिए वह लाईसेंस के अनुदान के तौर तरीकों के बारे में जानता था। लाईसेंस के

अनुदान के लिए आवेदन केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के तहत किया जाना चाहिए। इन नियमों के नियम 14 व 16 के तहत फर्जी लाईसेंस जारी किया जाना एक गंभीर मामला है, जिसे न्यायाधिकरण के *ipse dixit* के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। (पैरा 12) (918-जी-एच;919-ए-सी)

3. न्यायाधिकरण, एक अपीलीय प्राधिकरण नहीं है, इसका अधिकार क्षेत्र भी सीमित था। यह सामान्यतः सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था जब तक कि आरोपों का आरोपण पूरी तरह से असंगत नहीं माना जाता था। सामान्यतः जालसाजी के अपराध के संबंध में बर्खास्तगी/निष्कासन का आदेश एक समुचित दंड है जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। (पैरा 10) (918-ई-एफ)

यू.पी.एस.आर.टी.सी. बनाम राम किशन अरोडा (2007) 6 स्केल 721; रमेश चंद्र शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक व अन्य, (2007) 8 स्केल 240 तथा यूको बैंक व अन्य बनाम राजिंदर लाल कपूर, (2007) 6 एस.सी.सी. 694, पर भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिताः सिविल अपील सं. 2322/2006

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के पत्र पेटेंट अपील संख्या 593/2004 के विशेष सिविल आवेदन संख्या 6283/2000 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 29.7.2004 से अपील

अपीलार्थियों की ओर से शशांक अध्यारू और हेमंतिका वाही।

प्रत्यर्थी की ओर से एच. के. पुरी।

न्यायमूर्ति एस. बी. सिन्हा

1. गजानंद एम. दलवाड़ी, मृतक (अपराधी अधिकारी) गुजरात राज्य में परिवहन आयुक्त के अधीन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में कार्यरत थे। वह लाइसेंस अनुदान विभाग में कार्यरत थे। हालांकि, वह प्रासंगिक समय में लेखा विभाग में सारांश लिपिक के रूप में कार्यरत थे।

2. दिनांक 21.8.1995 से 13.9.1995 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की लाइसेंस शाखा में एक निरीक्षण किया गया था।

3. प्राधिकारियों द्वारा दोषी अधिकारी द्वारा किये गये कई कदाचार जानकारी में आये। यह पाया गया कि एक दुर्घटना का शिकार हुए नरेन्द्र कुमार को जाली लाईसेंस दिया गया था, यद्यपि प्रासंगिक समय पर, उसके पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। उसके विरूद्ध एक आरोप पत्र जारी किया गया था। अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने पर जांच अधिकारी ने दिनांक 06.12.1997 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित पाये गये। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने आदेश दिनांक 26.10.1998 द्वारा उन्हें सेवा से हटाने का निर्देश दिया। स्वयं को दण्डित किये जाने के उक्त आदेश से व्यथित होकर उसने गुजरात सिविल सेवा न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन यह

निर्धारित करते हुए स्वीकार किया गया कि उसकी ओर से कदाचार, यदि कोई हो, किसी अन्य लिपिक के अनुरोध पर उसके द्वारा किया गया था; अर्थात् एक दुधरेचिया।

आगे यह निर्धारित किया कि;

"15. विभाग की ओर से यह कथन किया गया है कि दुधरेचिया ने अपीलार्थी को काम सौंपने से इनकार कर दिया है लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, दुधरेचिया कभी स्वीकार नहीं करेगा और अपीलार्थी के तर्क से यह विश्वास हो जाता है कि यह अपील में सोच समझकर नहीं कहा था किन्तु यह जांच के समय सबसे पहले संबंधित लिपिक के सामने रखे गये थे।

16. साथ ही आदेश भी बहुत कठोर है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी को कारण बताना चाहिए कि ऐसे आदेश पारित करना क्यों उचित है। अनुशासन अपील और नियमों में चरण दर चरण प्रमुख दण्डों का प्रावधान है, दण्ड इस दृष्टि से निर्धारित किये गये हैं कि दण्ड कर्मचारी द्वारा किये गये शिकायती कार्य या प्रमाणित आरोपों या दुराचार के अनुरूप हो। अपीलार्थी कोई बेकार लकडी का टुकडा नहीं है कि उसे हटा दिया जाये। इसके अलावा इतनी कठोर सजा होने पर राज्य में रोजगार बढाने पर विचार करने की भी आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि हम बेईमान और

बुरे लोगों को बचाना चाहते हैं लेकिन कारण अवश्य बताना होगा और इस संतुष्टि पर भी पहुंचना होगा कि दिया गया दण्ड उचित है।"

4. अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी रिट याचिका को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह निर्धारित करते हुए स्वीकार किया कि अपराधी के पास आरोप पत्र का जवाब देने तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही में भाग लेने के सभी अवसर थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने निर्धारित किया कि न्यायाधिकरण के निर्णय के परिणाम स्वरूप न्याय का गर्भपात हुआ है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त की गयी पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकारिता के तहत न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता थी;

"यह स्पष्ट है कि जिस दिन ड्राइवर नरेंद्र कुमार दुर्घटना का शिकार हुआ था, उस दिन उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। इन परिस्थितियों में वाहन के मालिक सागरमल भैरूमल, वाहन को हुए नुकसान के लिए बीमा राशि का दावा नहीं कर सकते थे। बीमा दावे को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से उक्त सागरमल भैरूमल ने दुर्घटना की तारीख को कवर करने वाली अवधि के लिए चालक नरेन्द्र कुमार के नाम का एक डुप्लीकेट लाईसेंस जारी करने की व्यवस्था की। निर्विवाद रूप से डुप्लीकेट लाईसेंस अपराधी द्वारा जारी किया गया था। स्पष्टतः, बीमा कंपनी को धोखे देने के इरादे से मालिक सागरमल भैरूमल द्वारा डुप्लीकेट लाईसेंस

प्राप्त किया गया था। अपराधी ने डुप्लीकेट लाईसेंस जारी करके इस धोखाधडी योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। निर्विवाद रूप से,ऐसा लाईसेंस जारी करना ना तो अपराधी का कार्य था और ना ही यह उसका बचाव था कि उक्त लाईसेंस उसके द्वारा संबंधित लिपिक श्री दुधरेचिया या किसी अन्य अधिकारी के अनुरोध पर जारी किया गया था। अनुशासनात्मक जांच के बहुत बाद के चरण में अपराधी द्वारा इस तरह का बचाव किया गया, यद्यपि असफल रहा।

यह बहुत संभव है कि अपराधी के अलावा, उपर्युक्त धोखाधडी योजना में अन्य व्यक्ति भी शामिल थे और अग्रिम जांच से इसमें सम्मिलित अन्य व्यक्तियों के नाम सामने आ सकते थे। यद्यपि केवल इसलिए कि आगे कोई जांच नहीं की गयी, अपराधी को बरी नहीं किया जा सकता भले ही रिकाॅर्ड पर सबूतों से उसके विरूद्ध आरोप साबित हो गये हो।

द्वितीय आरोप के संबंध में, अपराधी द्वारा इस बात से इंकार नहीं किया गया है कि उसने लाईसेंस नंबर जारी करते वक्त कुछ लाईसेंस नंबर खाली छोड दिये थे। उसने ना तो यह स्पष्ट किया कि ऐसे रिक्त स्थान क्यों रखे गये और ना ही उसने इस बात से इंकार किया कि उक्त रिक्त स्थान बाद की तारीख में फर्जी लाईसेंस जारी करने के गुप्त इरादे से रखे गये थे। एक मात्र इंकार के अभाव में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा आरोप को उचित रूप से प्रमाणित माना गया है। यह तथ्य कि, उसके बाद किसी भी

समय उक्त नंबरों पर कोई लाईसेंस जारी नहीं किया गया था, कोई प्रभाव नहीं रखता है।

यहां तक कि तृतीय आरोप संबंधित व्यक्तियों अर्थात श्री बी.के. चैहान एवं श्री एन.पी. पाटनी के बयान से साबित हो गया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के जवाब में भी अपराधी ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर कोई मामला नहीं बनाया है। यहां तक कि उक्त जवाब भी टालमटोल वाला है।

5. हालांकि, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपराधी अधिकारी द्वारा की गयी अपील पर अपील स्वीकृत करते हुए निर्धारित किया कि;

"हां, मृतक गजानंद दलवाडी को डुप्लीकेट लाईसेंस तैयार करते समय अधिक सावधान रहना चाहिए था, हो सकता है कि उसने सोच समझकर काम किया हो। अंततः, वह काम की प्रकृति और इसके संव्यवहार के तरीके को नहीं समझ पाया होगा क्योंकि चूंकि वह लेखा का काम कर रहा था इसलिए यह उसका काम नहीं था। इसलिए, न्यायाधिकरण द्वारा तय किये गये निष्कर्ष उचित थे और उन्हें पलटने का कोई कारण नहीं हो सकता था।" (जोर दिया गया)

6. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यशांक अध्यारू ने कथन किया उच्च न्यायालय की खंडपीठ का दृष्टिकोण पूर्णतः गलत है और अपास्त किये जाने योग्य है।

7. दूसरी तरफ, श्री एच.के. पुरी विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित हुए तथा उन्होंने निर्णय का समर्थन किया।

8. लाईसेंस की जालसाजी एक गंभीर आरोप है इसे केवल इसलिए क्षम्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह किसी सहकर्मी के कहने पर किया गया है, भले ही ऐसा मान लिया जावे। जैसा कि पहले देखा गया है कि, संबंधित कर्मचारी ने भी इस बात से इंकार किया है कि लाईसेंस उसके कहने पर जारी किया गया था।

9. विद्वान न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने, सम्मानपूर्वक विधि में स्वयं को गलत दिशा में निर्देशित किया क्योंकि उन्होंने स्वयं के समक्ष गलत प्रश्न खडे कियेे। इतने बडे पैमाने पर कदाचार, जब साबित हो जाता है, तो अनुमानों और कल्पनाओं के आधार पर नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। इस प्रकृति के मामले में साम्य की कोई भूमिका नहीं होगी।

10. जब कोई जालसाजी किसी व्यक्ति को स्वयं के लिए सदोष लाभ प्राप्त करने में सहायता करने या किसी अन्य को सदोष हानि पहुंचाने की दृष्टि से की जाती है, तो मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। न्यायाधिकरण, एक अपीलीय प्राधिकरण नहीं है, इसका अधिकार क्षेत्र भी सीमित था। यह सामान्यतः सजा की मात्रा में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, जब तक कि आरोपों का आरोपण पूरी तरह से असंगत नहीं माना

जाता था। सामान्यतः जालसाजी के अपराध के संबंध में बर्खास्तगी/निष्कासन का आदेश एक समुचित दंड है; जैसा कि बडी संख्या में मामलों में निर्धारित किया जा चुका है, उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता था। देखें- यू.पी.एस.आर.टी.सी. बनाम राम किशन अरोडा (2007) 6 स्केल 721; रमेश चंद्र शर्मा बनाम पंजाब नेशनल बैंक व अन्य, (2007) 8 स्केल 240 तथा यूको बैंक व अन्य बनाम राजिंदर लाल कपूर, (2007)6 एस.सी.सी. 694

11. हमारी राय में विद्वान एकल न्यायाधीश का दृष्टिकोण सही था।

12. एक बार, यह निर्धारित किया जा चुका है कि अपराधी ने जान बूझकर कार्य कारित किया था तो यह भी नहीं माना जा सकता था कि वह कार्य की प्रकृति या उसके संव्यवहार के तरीके को नहीं समझता होगा, क्योंकि यह उसका कार्य नहीं था जबकि वह लेखा में कार्य कर रहा था। जांच अधिकारी द्वारा निकाले गये तथ्य का निष्कर्ष, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्वीकार किया था, यह था कि लाईसेंस जारी करना, जो कि उसका काम नहीं था, अपने आप में एक कदाचार था। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इस तथ्य को स्पष्ट रूप से नजर अंदाज किया कि यह राज्य का सही मामला था कि अपराधी लेखा विभाग में अपने स्थानांतरण से पहले लाईसेंस विभाग में कार्य कर रहा था और इसीलिए वह लाईसेंस के अनुदान के तौर तरीकों के बारे में जानता था। लाईसेंस के अनुदान के लिए

आवेदन केन्द्रीय मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों के तहत किया जाना चाहिए। नियम 14 के तहत परिकल्पित फॉर्म नंबर 4 में एक आवेदन दाखिल करना आवश्यक है। केवल उसकी उचित जांच के बाद, नियमों के नियम 16 के तहत परिकल्पित फॉर्म नंबर 6 के तहत लाईसेंस जारी किया जा सकता है। उक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जाली लाईसेंस जारी करना एक गंभीर मामला था जिसे न्यायाधिकरण के *ipse dixit* के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

13. उपर्युक्त वर्णित कारणों से, आक्षेपित निर्णय को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, जिसे एतदद्वारा निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है। कोई कोस्ट अधिरोपित नहीं की जाती है।

के.के.टी.

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अमित कुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।